



# DELHI SARKARI RATION DEALER'S SANGH - DELHI

Office : Shop No. 2 & 3, C-4, DDA Market, First Floor, Lawrance Road, Keshavpuram, Delhi-110035  
E-mail : dsrdsdelhi@gmail.com  
Website : www.dsrdsdelhi.com



DSRDS

Ref. : DSRDS-DELHI/2017/NO. 245-250

Date : \_\_\_\_\_

दिनांक: 23/11/2017

**SHIV KUMAR GARG**  
President  
9212567435

**JAGDISH PRASHAD**  
Sr. Vice President  
9810406015

**KUNJ BIHARI BANSAL**  
Vice-president  
9810630323

**SHYAM SUNDAR**  
Vice President  
9911178848

**SUNIL SHARMA**  
Vice President  
9310023180

**MANOJ SHARMA**  
Vice President  
9582203929

**HARI KRISHAN (LILU)**  
Vice-President  
9212442834

**SITARAM**  
Gen. Secretary  
9312238830

**RAJNEESH SHARMA**  
Secretary  
9818569678

**SAURABH GUPTA**  
Secretary  
9810943745

**MATLOOB ALAM**  
Secretary  
9818946781

**MANJEET KAUR**  
Secretary  
9210565722

**RAHUL AGGARWAL**  
Cashier  
9871420213

सेवा में,

श्री मान के. आर . मीणा. (IAS)

सचिव/आयुक्त खाद्य एवं संभरण विभाग,

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार,

के. ब्लाक, विकास भवन, आई. टी.ओ.,

नई दिल्ली-110001

विषय:- दिल्ली में खाद्य एवं संभरण विभाग- दिल्ली के अंतर्गत कार्यरत, पात्र उचित दर दुकानदारों के राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून-2013 के तहत बने राशन कार्डों को जबरदस्ती बंद/रद्द करने के सन्दर्भ में.

महोदय,

अभी कुछ समय पहले, दिल्ली सरकारी राशन डीलर्स संघ-दिल्ली (DSRDS-DELHI) को ज्ञात हुआ है, कि दिल्ली में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून-2013 के तहत दिल्ली के पात्र उचित दर दुकानदारों के लगभग 487 राशन कार्ड विभाग द्वारा नियमानुसार बनाए गए थे! जिन्हें अब विभाग के द्वारा उचित दर दुकानदारों पर दबाव बनाकर उनके राशन कार्डों को भंडल कार्यालय में जमा कराके रद्द करने के निर्देश दिए गए हैं! गौरतलब हो, कि दिल्ली में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून-2013, 01 सितम्बर-2013 से लागू है! उस दौरान दिल्ली में लगभग 2500 राशन दुकानें कार्यरत थी, हालांकि वर्तमान में यह संख्या घटकर 2260 रह गई है! जिसमें से मात्र 487 पात्र उचित दर दुकानदारों के खाद्य सुरक्षा राशन कार्ड, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून के तहत, विभाग द्वारा जारी किये थे! यह राशन कार्ड, उस समय राशन कार्ड बनाने के लिए निर्धारित शर्तों को ध्यान में रखकर व इन परिवारों के द्वारा सभी भापडंडों को पूरा करते हुए विभाग द्वारा जारी किये गए थे.

इन खाद्य सुरक्षा राशन कार्ड के लिए आवेदन करने के पश्चात, विभाग ने इन राशन डीलर्स के आवेदन पत्रों की पूर्ण रूप से विभिन्न तरह से जांच की और जो राशन डीलर इन राशन कार्डों के लिए पात्र थे, उन पात्र 487 राशन डीलर्स को ही राशन कार्ड विभाग द्वारा दिये गये थे.





# DELHI SARKARI RATION DEALER'S SANGH - DELHI

Office : Shop No. 2 & 3, C-4, DDA Market, First Floor, Lawrance Road, Keshavpuram, Delhi-110035  
E-mail : dsrdsdelhi@gmail.com



Website : www.dsrdsdelhi.com

**DSRDS**

Ref. : DSRDS-DELHI/2017/NO. 245-250

Date : 23-11-2017

**SHIV KUMAR GARG**  
President  
9212567435

**JAGDISH PRASHAD**  
Sr. Vice President  
9810406015

**KUNJ BIHARI BANSAL**  
Vice-president  
9810630323

**SHYAM SUNDAR**  
Vice President  
9911178848

**SUNIL SHARMA**  
Vice President  
9310023180

**MANOJ SHARMA**  
Vice President  
9582203929

**HARI KRISHAN (LILU)**  
Vice-President  
9212442834

**SITARAM**  
Gen. Secretary  
9312238830

**RAJNEESH SHARMA**  
Secretary  
9818569678

**SAURABH GUPTA**  
Secretary  
9810943745

**MATLOOB ALAM**  
Secretary  
9818946781

**MANJEET KAUR**  
Secretary  
9210565722

**RAHUL AGGARWAL**  
Cashier  
9871420213

सर्वजन को ज्ञात हो, कि दिल्ली राशन डीलर मात्र 70 पैसे प्रति किलो कमीशन पर कार्य कर रहा है, जिसमे उसे अपनी दूकान का किराया,हेल्पर की तनख्वाह, स्टेशनरी,बिजली-पानी व इत्यादि खर्चो को वहन करना पड़ता है, जिससे राशन डीलर्स की मासिक आय नगण्य( न के बराबर) रह जाती है! जबकि राशन डीलर्स एसोसिएशन ने समय-समय पर विभाग तथा सरकार को कई बार लिखित और मौखिक रूप से अवगत कराया हैं, कि दिल्ली में उचित दर दूकानदारों को दिया जाने वाला कमीशन बेहद ही कम है अर्थात नाम मात्र है, जिसके कारण राशन डीलर को अपने परिवार का पालन पोषण करने में काफी कठिनाई होती है! राशन डीलर का कमीशन बढ़ाना तो दूर, विभाग के द्वारा पात्र 487 राशन डीलर्स के राशन कार्ड भी रद्द किये जा रहे है।

दिल्ली सरकारी राशन डीलर्स संघ-दिल्ली (DSRDS-DELHI) सरकार तथा विभाग से पुरजोर मांग करता है कि उपरोक्त पात्र 487 राशन डीलर्स के खाद्य राशन कार्डो को बिना भौतिक जांच के रद्द न किया जाए, यदि किसी कारण उक्त राशन कार्डो रद्द कर दिया गया है तो भी उन्हें तुरंत बहाल कर उन्हें सस्ते अनाज की आपूर्ति कराने की कृपा करें.

सधन्यवाद

शिव कुमार गर्ग

अध्यक्ष - दिल्ली सरकारी राशन डीलर्स

संघ-दिल्ली प्रदेश(DSRDS-DELHI)

MOB:- 9212567435

प्रतिलिपी:- (1). श्री अनिल बैजल,(IAS ),माननीय उप राज्य पाल,राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र - दिल्ली सरकार दिल्ली

2. श्री अरविंद केजरीवाल,माननीय मुख्यमंत्री, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र - दिल्ली सरकार दिल्ली
3. डा. एम.एम . कुट्टी, मुख्य सचिव, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र - दिल्ली सरकार दिल्ली
4. श्री इमरान हुसैन, माननीय खाद्य मंत्री, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र - दिल्ली सरकार दिल्ली
5. सचिव,उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग,बी.पी.-3, कृषी भवन, नई दिल्ली।
6. श्री विश्वम्भर बासु , राष्ट्रीय महासचिव, आल इंडिया फेडरेशन प्राइस शॉप डीलर्स फेडरेशन, दिल्ली-92



SR-PP-5

DEPARTMENT OF FOOD SUPPLIES AND CONSUMER AFFAIRS  
GOVT. OF NCT OF DELHI, K-BLOCK, VIKAS BHAWAN, NEW DELHI  
(ENFORCEMENT BRANCH)

No.F.R-48/Enf./F&S/2017/ 827

Dated:- 18-12-17

To

The Zonal Assistant Commissioners (F&S)  
(All Districts)  
Food & Supply Department  
Govt. of NCT of Delhi,  
Delhi.

The Assistant Commissioner (Policy)  
Policy Branch  
Food & Supply Department  
Govt. of NCT of Delhi,  
Vikas Bhawan, Delhi.

**Sub.: Forwarding of letter received from Delhi Sarkari Ration Dealer's Sangh.**

Sir,

The Department is in receipt of letter dated 30/11/2017 from Secretary to Hon'ble Minister of Food & Supply (copy enclosed) forwarding therein the letter received from Shri Shiv Kumar Garg, President, Delhi Sarkari Ration Dealer's Sangh – Delhi, Office Shop No.2 & 3, C-4, DDA Market, First Floor, Lawrance Road, Keshavpuram, Delhi – 110035 regarding **issue of nominal commission to Fair Price Holders and cancellation of 487 Ration Cards.** He further requested to conduct physical investigation before cancellation of such Ration Cards and resumed already cancelled Ration Cards with immediate effect so that the SFAs of cheaper rate can be supplied.

You are therefore requested to take necessary action and the same may be informed to the office of the Hon'ble Minister and complainant directly under intimation to this Department.

Yours faithfully

Encl.: As above.

(S.S. RAWAT)  
ASSISTANT COMMISSIONER (ENF.)

No.F.R-48/Enf./F&S/2017/

Dated:-

Copy forwarded for information to :-

1. The Secretary to Hon'ble Minister of Food & Supply, 8<sup>th</sup> Level, Delhi Secretariat, New Delhi -30/11/2017 w.r.t. letter no.2631 dated 30/11/2017.
2. ✓ Shri Shiv Kumar Garg, President, Delhi Sarkari Ration Dealer's Sangh – Delhi, Office Shop No.2 & 3, C-4, DDA Market, First Floor, Lawrance Road, Keshavpuram, Delhi – 110035.

(S.S. RAWAT)  
ASSISTANT COMMISSIONER (ENF.)